केंद्र ने चीनी निर्यात के लिए मात्रा की सीमा खत्म करने का फैसला किया

सरकार ने दी शुगर एक्सपोर्ट की खुली छूट

[ईटी ब्यूरो नई दिल्ली]

चीनी निर्यातकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने चीनी निर्यात के लिए मात्रा की सीमा हटा दी है। सरकार ने चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिए यह फैसला किया है। सरकार ने प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को भी हटा दिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी गोदामों में अतिरिक्त खाद्यान्न के रखरखाव की पॉलिसी बनाने के वास्ते कमेटी बनाने का भी फैसला किया।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के चेयरमैन सी रंगराजन की अगुवाई में यह कमेटी बनाई जाएगी। ये सभी फैसले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए। चीनी, कपास और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कृषि आइटम की निर्यात पॉलिसी को लेकर कृषि मंत्री शरद पवार के सवाल खड़े करने और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद मनमोहन सिंह ने यह बैठक बुलाई थी।

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, कृषि मंत्री शरद पवार, कॉमर्स और टेक्सटाइल्स मंत्री आनंद शर्मा और खाद्य मंत्री के वी थॉमस इस बैठक में शामिल हुए। एक सूत्र ने कहा, 'चीनी का निर्यात ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत किया जाएगा न कि फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व के आधार पर।' 26 मार्च को खाद्य पर मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह (ईगॉम) ने 10 लाख टन चीनी निर्यात की इजाजत देने का फैसला किया था। लेकिन निर्यात के तौरतरीके नहीं होने से इस फैसले को अधिसूचित नहीं किया गया था। मंत्रियों के पैनल ने खाद्य मंत्रालय को निर्यात में तेजी लाने के लिए नई पॉलिसी तैयार करने को कहा था। 2011-12 मार्केटिंग ईयर में अब तक मंजूर 20 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए खाद्य मंत्रालय पिछले तीन साल के औसत प्रोडक्शन के आधार पर मिलों को एक्सपोर्ट कोटा जारी कर रहा था। खाद्य मंत्रालय ने शुगर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चार रास्ते सुझाए थे। इन सुझावों में खाद्य पर मंत्रियों की समिति ने शिपमेंट में तेजी लाने को कहा गया था। इन ऑप्शंस में कंपनी के पुराने एक्सपोर्ट प्रदर्शन के आधार पर एक्सपोर्ट बर्बांडिटी तय करना, तय पोर्ट्स पर शिपमेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बैंक गारंटी रहने पर 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर कोटा तय करना और मौजूदा लाइसेंस सिस्टम के प्रोसेस को तेज करना शामिल थे। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना था कि सरकार एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (ईगॉम) के सामने ये ऑप्शन रखेगी और जिस विकल्प स्वीकार किया जाएगा, उसे लागू करने पर सरकार विचार करेगी।

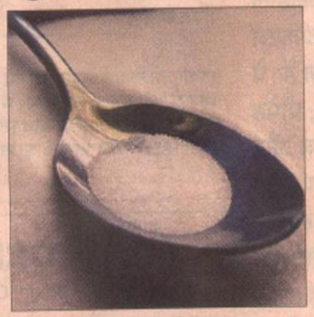

निर्यातकों को मिला मनचाहा गिफ्ट

सरकार ने चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिए यह फैसला किया है। चीनी का निर्यात ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत किया जाएगा न कि फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व के आधार पर

केंद्र सरकार ने सरकारी गोदामों में अतिरिक्त खाद्यान्न के रखरखाव की पॉलिसी बनाने के वास्ते कमेटी बनाने का भी फैसला किया

सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के चेयरमैन सी रंगराजन की अगुवाई में यह कमेटी बनाई जाएगा। इसके अलावा, प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को भी हटाने का फैसला किया गया है